

2023/759

311
23

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-भू.अ./2023/81
प्रेषिति,

दिनांक:- 8/6/2023

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
चित्तौडगढ

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान् श्रीमती श्यामबाई पिता नाथू गाडरी नि.
पारसिया प.ह. देवरी के राजस्व ग्राम पारसिया में जमाबन्दी संवत् 2076-
2078 की खाता संख्या 105/122/77 में जमिती/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.
ने सम्मानजनक जमिती/नाम श्यामबाई किये जाने की रिपोर्ट की है।
सम्मानजनक जाति/नाम श्यामबाई का अकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना
उचित है। दोनों जातियां (पूर्व एवं वर्तमान संशोधन से संबंधित जाति) अनुसूचित जाति
श्रेणी के ही अन्तर्गत आती हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

जाति संशोधन की रिथिति में राज. काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 42
(बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

8/6/23
तहसीलदार
चित्तौडगढ

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ राज.

क्रमांक:-रोडर/2023/87
निमित्त,

दिनांक 8/6/2023

पटवार हल्का देवरी

विषय:-सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने वांछित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर.एक्ट. 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान् के अनुसार श्रीमती श्यामबाई पिता नाथू गाडरी
राजस्व ग्राम पारसिया प.ह. देवरी की खाता संख्या 105/122/77 में
जमिती/नाम श्यामबाई दर्ज है। जिस सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व
पहचान प.ह. व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार चित्तौडगढ द्वारा भी जाति/नाम
सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान् श्रीमती श्यामबाई पिता नाथू गाडरी
जमिती/नाम श्यामबाई एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधित दर्ज
करने की स्वीकृत एतद् द्वारा दी जाती है। प.ह. देवरी राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल में लायना पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

प्रतिलिपि:-तहसीलदार चित्तौडगढ पालना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ